राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 81/2014/भीलवाडा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–प्रथम, बॉसवाडा। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ईरानी इन्टरनेशनल प्रा.लि.,
भीलवाडा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री ओ.पी.दौसाया,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 103/वैट/12–13 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–द्वितीय, बांसवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित कुल मांग राशि रूपये 65,284/– अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 01.11.2012 को वाहन संख्या आरजे–06–जीए–7821 को एन एच 8, रतनपुर पर चैक किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वाहन में लदे माल प्लास्टिक बॉक्स के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ संलग्न वैट–47 अवधिपार हो चुका था, एवं उसमें प्रेषक का नाम, पता, टिन संख्या एवं ट्रांजेक्शन के प्रकार का अंकन नहीं था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 76(2) का उल्लंघन मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी कुल मांग राशि 65,284/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है

लगातार.....2

कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ संलग्न वैट–47 अवधिपार हो चुका था, एवं उसमें प्रेषक का नाम, पता, टिन संख्या एवं ट्रांजेक्शन के प्रकार का अंकन नहीं था, साथ ही सशक्त अधिकारी द्वारा समय दिये जाने के पश्चात् भी प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नया वैट–47 प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे उन्होने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा कि सशक्त अधिकारी द्वारा वक्त चैकिंग माल के साथ समस्त दस्तावेज यथा चैकिंग बिल, बिल्टी, एवं वैट–47 मौजूद थे, परन्तु तकनीकी त्रुटि के कारण वैट–47 अवधिपार का संलग्न हो गया था, इस संबंध में आगे उन्होंने कथन किया कि वैट–47 अवधिपार होने के पश्चात् भी शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता, इस संबंध में उन्होंने माननीय कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान यूनिलिवर लि. अजमेर (2013) 94 टैक्स अपडेट 36 में उद्रित किया है। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वाहन में लदे माल प्लास्टिक बॉक्स के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ संलग्न वैट–47 अवधिपार हो चुका था। परन्तु अवधिपार का वैट–47 संलग्न हो जाना एक तकनीकी त्रुटि है, अतः शास्ति का आरोपण किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में **माननीय कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान यूनिलिवर लि. अजमेर (2013) 94 टैक्स अपडेट 36** में अवधिपार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है। उद्रित किया है। अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है

7. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

9/8/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य